## <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 120 / 15</u> <u>संस्थापन दिनांक:-18 / 03 / 15</u> फाईलिंग<u>नं. 233504002872015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि क्त द्ध

रामसिंह पिता मधु भोयर उम्र 32 वर्ष, निवासी नांदपुर थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

# <u>-: (निर्णय):-</u>

### (आज दिनांक 04.10.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 04.03.2015 को समय रात्रि 08:30 बजे या उसके लगभग ग्राम नांदपुर मंकर के घर के सामने संभु की दुकान के पास नांदपुर थाना आमला जिला बैतूल पर फरियादी विजय कुमार राठौर को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.03.2015 को रात करीब 8.30 बजे फरियादी को मंकर के घर के सामने संभु की दुकान के पास अभियुक्तगण मिले और उससे अभियुक्त लक्खू ने उधारी के 3100 / रूपये मांगे जो उसने उधारी के पैसे होली में देने का कहा। इसी बात पर से उसे अभियुक्त लक्खू एवं रामसिंह ने मादरचोद बहनचोद की गाली देकर पैसे अभी देने का कहा और अभियुक्त लक्खू ने उसे पत्थर से उसके माथे पर मारा, अभियुक्त रामसिंह ने चाकू जैसी किसी वस्तु से उसके सिर के पीछे तरफ मारा जिससे उसे दो जगह चोट आयी। तभी अभियुक्त टेमरू ने आकर उसे गंदी गंदी गालियां दी। अभियुक्तगण ने उसे पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 112/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त राजेश, टेमरू एवं रामसिंह से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त राजेश को धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा.दं.सं. एवं अभियुक्त टेमरू व रामसिंह को धारा 294, 506 भाग—दो भा.द. सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त रामसिंह के विरूद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

#### 5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.03.2015 को समय रात्रि 08:30 बजे या उसके लगभग ग्राम नांदपुर मंकर के घर के सामने संभु की दुकान के पास नांदपुर थाना आमला जिला बैतूल पर फरियादी विजय कुमार राठौर को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?"

#### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 विजय (अ.सा.—2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि हाटना ग्राम नांदपुर स्थित मंकर के घर के सामने रात्रि 8.30 बजे की है। घटना के समय उधार के पैसे की बात को लेकर अभियुक्तगण ने उसे गंदी गंदी गालियां देकर हाथ मुक्के से मारपीट की थी जिससे उसके माथे एवं सिर पर चोटें आयी थी। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में की थी जो (प्रदर्श प्री—2) है।
- र डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि वह दिनांक 04.03.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उसने आहत विजय का चिकित्सकीय परीक्षण किया था जिसमें आहत के माथे के बीच में 2 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव एवं सिर के बांये तरफ 3 गुणा 2 गुणा 3 सेमी. आकार का कटा हुआ घाव पाया था। साक्षी ने चोट क. 1 कड़े एवं बोथरे हथियार से एवं चोट क. 2 कड़े एवं धारदार हथियार से आना बताते हु एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—1) को प्रमाणित किया है।

8 विजय (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा उसे गाली गलौच कर हाथ मुक्के से मारपीट किया जाना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियुक्त रामिसंह द्वारा नुकिली चीज से मारे जाने से इनकार किया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 2 में साक्षी ने बचाव के सुझाव पर यह बताया है कि अभियुक्त ने धक्का मुक्की की थी जिससे वह गिर गया था और उसे नुकिली वस्तु लगने से चोट आ गयी थी।

9 फरियादी विजय (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त रामिसंह द्वारा चाकू जैसे किसी नुिकले हिथयार से चोट कारित किये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी ने अभियुक्त के द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु इस संबंध में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से एवं फरियादी विजय के कथनों से अभियुक्त रामिसंह द्वारा उसे किसी नुिकली वस्तु से चोट कारित किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी विजय कुमार राठौर को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त रामिसंह को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

10 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)